तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/12/22	अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस हेतु निवेदन किया। जिस पर अधिवक्ता अपीलाण्ट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण वर्णित वादग्रस्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट रेकर्डड खातेदार है। रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का विधिक प्रावधान नहीं है। एकतरफा स्थगन आदेश प्रदान किये जाने पर आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य. प्र. स. के तहत एक माह में उस प्रकरण का निस्तारित किया जाना आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की आड में वादग्रस्त आराजी के उपयोग–उपभोग करने में वंचित हो रहे है। जिससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे। एवं अप्रार्थीगण को अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी में दखलदांजी करने से रोके जाने का आदेश फरमावे। अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2018 को अपीलाण्ट के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया। इस संबंध में आदेश 39 नियम 3(क) सी. पी. सी में प्रावधित किया है कि " 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय को 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कारणो को अभिलेखित करना चाहिए। उपरोक्त कानून के सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिवस ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय सुनवाई करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। विधि अनुसार जहां एक पक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है, वहां उस प्रकरण का निस्तारण 30 दिवस के भीतर किये जाने के प्रावधान है। चूंकि प्रकरण में निहित कानूनी बिन्दुओं की पालना करवाई जानी आवश्यक है, हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार सहायक कलेक्टर आहोर को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 18/2018 उनवान खंगार सिंह बनाम जितेन्द्र कुमार में पारित आदेश दिनांक 17.07.2018 के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3(क) की पालना करते हुए उभयपक्षों को सुनकर 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु नम्बर से कम हो।

अतिरिक्त अपील प्राधिकारी
आबू